| | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 27/12/18 | पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी सा० भ्रमण/अवकाश/चुनाव कार्य/अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली गत आदेशिका की पालना में आगामी दिनांक 30/1/19 को पेश हो। | |
| 30/1/019 | वकील वादी व वकील वादी के प्रति। दि किस पर तरफा सर्च वारंट हेतु निवेदन किया। प्रति। मय वकील वादी गत: पर तरफा सर्च वारंट के बाबत पत्रावली बाबत प्रस्ताव दि. 18/2/019 को पेश हो। | उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.) |
| 18/2/19 | पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण न्यायिक कार्य नहीं कर रहे है/~~हड़ताल पर है~~। पत्रावली गत आदेशिका के अनुसार दि० 22/3/19 को पेश हो। | |
| 22/3/19 | पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी सा० भ्रमण/अवकाश/चुनाव कार्य/अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली गत आदेशिका की पालना में आगामी दिनांक 10/4/19 को पेश हो। | |
| 10/4/19 | पत्रावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी सा० भ्रमण/अवकाश/चुनाव कार्य/अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली गत आदेशिका की पालना में आगामी दिनांक 2/5/19 को पेश हो। | |
| 2/5/019 | वकील वादी व वकील प्र०ग० व प्रार्थना पत्र सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी पक्षकारों की बाहुल्यता होने से रिमांड होने से पक्षकारों की बाहुल्यता होने से विपक्ष तक कार्यवाही करना अथवा सिलसिले मूल वाद के विपक्ष तक कार्यवाही करने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पालन किया जाता है। पत्रावली अधिकारी नम्बर में रखी व मूल वाद में शामिल किया जावे। | जगदीश कार्की RAS उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.) |

Scanned by CamScanner